प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, मैनपुरी

विज्ञप्ति

(सं0 01/पुनर्नियुक्ति (सेवानिवृत)/2022–2023 दिनांकित 31.10.2022)

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 14/एडमिन. 'डी' सेक्शन दिनांकित 15.10.2022 के अनुक्रम में जनपद न्यायालय, मैनपुरी से सेवा निवृत्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को जनपद न्यायालय, मैनपुरी में अद्योलिखित रिक्त पदों पर पुनर्नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	लिपिक (वरिष्ठ सहायक)	25
2	आशुलिपिक (ग्रेड–2)	12

उपरोक्त पदों पर पुनर्नियुक्ति निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन होंगी :–

1. सेवा निवृत्त न्यायिक कर्मचारी द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की गयी हो।
2. पुनर्नियुक्ति, नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष के लिये (यदि पूर्व में ही समाप्त न कर दी जाये) अथवा रिक्त पदों के पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने तक अथवा सम्बन्धित पुनर्नियुक्त सेवा निवृत्त कर्मचारी की आयु 65 वर्ष होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिये होगी।
3. सेवा निवृत्त कर्मचारी को पुनर्नियुक्ति पर उसके द्वारा अंतिम आहरित मूल वेतन में से मूल पेंशन की धनराशि को घटाते हुये कुल मेहनताना/मानदेय देय होगा।
4. सेवा निवृत्त कर्मचारी को पुनर्नियुक्ति उसकी पूर्व सेवा तथा वार्षिक गोपनिय प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान की जावेगी।
5. उपरोक्तानुसार पुनर्नियुक्त कर्मचारी को कलेण्डर वर्ष में एक माह की सेवा पर एक आकस्मिक अवकाश देय होगा।
6. निरन्तर 07 दिनों तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होने पर सम्बन्धित कर्मचारी की सेवायें बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेंगी।
7. उपरोक्तानुसार पुनर्नियुक्त कर्मचारी को न्यायालय के शिष्टाचार का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. उपरोक्त नियुक्तियाँ पूर्ण रूप से अस्थायी होंगी।

सामान्य दिशा–निर्देश:–

1. आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप अथवा पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 30.11.2022 तक प्रशासनिक कार्यलय जनपद न्यायाधीश, मैनपुरी को प्रेषित किये जा सकते हैं।
2. आवेदन पत्र में सम्बन्धित सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा अपने विवरण के साथ पत्राचार का पता तथा मोबाइल नं0 अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

विज्ञप्ति समस्त अवकाशप्राप्त कर्मचारीगण में परिचालित की जावे। सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा तथा न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जावे।

विज्ञप्ति की एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जावे।

31/10/22
(नम्रता सिंह)
सदस्य, चयन समिति/
सिविल जज (प्रवर वर्ग)
मैनपुरी

(बश बहादुर यादव)
सदस्य, चयन समिति/
अपर सत्र न्यायाधीश (न्या० सं०१)
मैनपुरी

31.10.22
(पूनम राजपूत)
सहायक सदस्य, चयन समिति/
विशेष न्यायाधीश (आ०व०अधि)
मैनपुरी

आदेश

अनुमोदित। विज्ञप्ति तदनुसार परिचालित की जावे।

जनपद न्यायाधीश
मैनपुरी